न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/2019
दायरी दिनांक : 08.04.2019

उनवान

1 बन्ना पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 उदा पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 रामू बेवा अम्बालाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1 खाना पिता भुरा जाति जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 गोपाल पिता नगजीराम अटारिया(शर्मा) निवासी खटवाड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 भैरूलाल पिता जगनाथ जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4 श्रीमती लहरीदेवी पत्नी मोतीलाल जाट नि0 रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5 मथुरालाल पिता बालु जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6 खाना पिता कालु जाति शर्मा निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7 रायमल पिता छोगा जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8 नारायणी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
9 पन्ना पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
10 गोकूल पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
11 बक्सु पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
12 नाथु पिता धन्ना जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
13 प्रभु पिता धन्ना जाति जाट निवासी रानीखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
14 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

——अप्र
ार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 व 13)
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
4. अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार माण्डलगढ़।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 08.
11.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की **ग्राम रानीखेडा पटवार मण्डल खटवाडा की सरहद में स्थित खाता संख्या 114 की आराजी संख्या 217, 218, 219, 361, 362, 363 कुल किता 6 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 व 13 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने पर कोई आपत्ति नही जतायी गयी। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2074–77** के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार

है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम रानीखेडा पटवार मण्डल खटवाडा की सरहद में स्थित खाता संख्या 114 की आराजी संख्या 217, 218, 219, 361, 362, 363 कुल किता 6 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि** बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 1450/–** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.11.09 11:38:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: